

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेड़ा, जिला-चित्तौड़गढ़ (राज0)

प्रकरण संख्या- 13/2021 प्रार्थना पत्र

निर्णय

दिनांक :- 14.06.2021

1. शांतिलाल पुत्र चतरा जाति डांगी आयु वयस्क निवासी फलवा तह0 निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ ।
2. नन्दु पुत्री चतरा जाति डांगी आयु वयस्क निवासी फलवा तह0 निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज0 ।
3. प्रेमबाई पुत्री चतरा जाति डांगी आयु वयस्क निवासी फलवा तह0 निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़
4. शांतिबाई पुत्री चतरा जाति डांगी आयु वयस्क निवासी फलवा तह0 निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ ।

– प्रार्थीगण

बनाम

1. नारायण पिता वरलाल जाति आमेटा आयु वयस्क निवासी फलवा तह0 निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ ।
2. नाथु पिता शोराम जाति डांगी आयु वयस्क निवासी फलवा तह0 निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज0 ।
3. शंकर पिता मांगीलाल जाति डांगी आयु वयस्क निवासी फलवा तह0 निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ ।
4. अनील पिता शंकरलाल जी जाति जाट आयु वयस्क निवासी फलवा तह0 निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़
5. जोधराज पिता कंवला जाति डांगी आयु वयस्क निवासी फलवा तह0 निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ ।

– विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र तहत धारा 128 रा0ले0रे0 एक्ट

आदेश

संक्षिप्त विवरण मामला इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र धारा 128 रा0ले0रे0एक्ट के तहत पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजियात वाके मौजा फलवा प0ह0 फलवा तहसील निम्बाहेड़ा में खाता सं0 259 की आराजी नं0 452/1038 रकबा 0.3300 हैक्टेयर, भूमि स्थित है। जिस पर को कोई स्पष्ट सीमा चिन्ह नहीं है जिसके कारण प्रार्थीगण व विपक्षीगण के बीच सीमा चिन्ह को लेकर विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थीगण की भूमि की पत्थरगढ़ी कराई जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगणों को जरये सम्मन तलब किया गया। विपक्षीगण बाबजूद तामिल एवं सूचना के अनुपस्थित होने से वकील प्रार्थीगण की एकतरफा बहस सुनी गई। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार निम्बाहेड़ा को 300/-रु फीस पर कमिश्नर नियुक्त कर आदेश दिया जाता है कि उभय पक्ष को सूचना देते हुए, मौके पर कोई विवाद नहीं होने की स्थिति में, किसी न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं होने पर प्रार्थीगण की खातेदारी कि आराजियात वाके मौजा फलवा प0ह0 फलवा तहसील निम्बाहेड़ा में खाता सं0 259 की आराजी नं0 452/1038 रकबा 0.3300 हैक्टेयर, कुल किता 1 कुल रकबा 0.3300 हैक्टेयर भूमि की किसी भी पक्ष के कब्जे में दखल दिये बगैर नियमानुसार पत्थरगढ़ी करें। फीस कमिश्नर प्रार्थीगण से वसूल की जावे। पत्थरगढ़ी किये जाने की पालना रिपोर्ट 15 दिवस में पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

आज दिनांक 14.06.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(चन्द्रशेखर भण्डारी)
उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा

